

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग

प्रति,

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत जिला
- आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्
जिला-

आवेदक का
फोटोग्राफ

- विषय- 1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना

आवेदक का समग्र कोड क्रमांक

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

आवेदक का बी.पी.एल. कार्ड क्रमांक

- आवेदक का नाम
- पिता/पति का नाम
- जाति वर्ग

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य	अल्प संख्यक
------	------	-------	---------	-------------
- आवेदक की जन्म तिथि

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- आवेदक के समय आयु

--	--	--	--	--
- आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता
- आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता
- आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (यदि कोई हो तो)
- आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी

क्र०	नाम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1					
2					

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

10. क्या आवेदक को पूर्व से कोई पेंशन प्राप्त हो रही है

11. क्या आवेदक को राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय संस्था से भरण-पोषण हेतु कोई राशि अनाज/अन्य सहायता प्राप्त हो रही है ? यदि हाँ तो कितनी और किस रूप में

12. वर्तमान में जीविका का साधन/वार्षिक आय

13 खाता

आवेदक/खाताधारक का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड

आवेदक के हस्ताक्षर/अगूठा निशानी

—: घोषणा पत्र :—

मैं कुमारी / श्री / श्रीमती

पिता / पति निवासी

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपर बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है।
यदि उपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरी पेंशन बंद कर मैंने जो राशि पेंशन के रूप में प्राप्त की है वह मुझसे शासन द्वारा बसूली की जा सकती है।

14 संलग्न दस्तोज का विवरण

1.

2.

3.

4.

5.

6.

आवेदक के हस्ताक्षर

—: सत्यापन :—

कार्यालय जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्
..... जिला (म0प्र0)

क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है, कि कुमारी/श्री/श्रीमती

पिता/पति निवासी ग्राम/नगर

..... तहसील/बिकास खण्ड

जिला को प्रस्तुत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना
के आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदक की पेंशन स्वीकृत/अस्वीकृत कियें जाने की अनुशंसा की जाती है:-

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बृद्धावस्था /विधवा/निःशक्त पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति होने के कारण पेंशन स्वीकृत कियें जाने की अनुशंसा की जाती है।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त कियें जाने की अनुशंसा की जाती है।

गवाह (नाम एवं हस्ताक्षर)

1.

2.

3.

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
जनपद पंचायत/नगर निगम
नगर पालिका/नगर परिषद्
अधिकृत अधिकारी

